न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 100/2018

1 गीगाराम
2 बंशीधर
3 सागरमल
4 मक्खन
5 नानूराम उर्फ लालचन्द
6 बल्लाराम उर्फ बुलाराम पुत्रगण स्व. भूराराम जाति माली निवासीगण ग्राम घस्सीपुरा पोस्ट कावंट तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 धूड़ाराम पुत्र भगवाना (मृत)
1/1 जितेन्द्र
1/2 लालचन्द
1/3 रामोतर पुत्रगण स्व. धूड़ाराम जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 2 सैनी मोहल्ला मु. पो ग्राम कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
1/4 कमली पत्नी चन्दू जी पुत्री धूड़ाराम जाति माली निवासी ग्राम खेजरोली तहसील चोमू जिला जयपुर राज.।
1/5 कौशल्या पुत्री धूड़ाराम पत्नी श्रवण जी जाति माली निवासी ग्राम श्यामगढ़ गुरारा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
1/6 अंजू पुत्री धूड़ाराम पत्नी जगदीश जाति माली निवासी ढाणी रामसिंह वाली तन डाबला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
1/7 ममता पुत्री धूड़ाराम पत्नी राजू जी जाति माली निवासी ढाणी राम सिंहवाली तन डाबला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
1/8 सुणी पुत्री धूड़ाराम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 1 सैनी मोहल्ला कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

2 भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।
रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2016 न्यायालय सहायक
कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला राजस्व वाद संख्या 37/2004
बी.टी. 668/2013 बउनवानी धूड़ाराम बनाम गीगाराम आदि
पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी आरएएस

उपस्थिति :

1. श्री प्रदीप जोशी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ईश्वरलाल यादव, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 21/10/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 37/2004 में पारित निर्णय दिनांक 20.04.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने एक वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 569 जिसके नवीन खसरा नम्बर 1678, 1679, 1708, 1718(उक्त भूमियों बट्टा नम्बर 569/1, 569/2) वाके ग्राम घस्सीपुरा तहसील खण्डेला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस/प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की तरफ से उपरोक्त उनवानी प्रकरण में अपीलान्ट संख्या 1 गीगाराम द्वारा विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी की जाती रही थी परन्तु सन 2015 के शुरू में उक्त गीगाराम की तबीयत अत्यधिक खराब रहने लगी तथा कहीं आने जाने में असमर्थ हो जाने से तथा इससे पूर्व अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा उक्त गीगाराम को यह आश्वासन यि जाने पर कि उक्त प्रकरण राजस्व वाद है जिसमें जवाब दावा पेश होकर आगे कार्यवाही में काफी समय लगने की संभावना है इसलिए आपको हर तारीख पेशी पर न्यायालय में हाजिर आने की आवश्यकता नहीं है जब भी आवश्यकता होगी मेरे द्वारा आपको मोबाईल अथवा चिट्ठी लिखकर सूचित कर दिया जावेगा। वकील प्रतिवादीगण के उक्त आश्वासन पर प्रतिवादी संख्या 1 गीगाराम को यह सद्भाविक विश्वास हो गया कि जब भी प्रकरण में उनकी आवश्यकता होगी वकील साहब द्वारा उसे सूचित कर दिया जावेगा। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 भी न्यायालय में तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका तथा अधिवक्ता प्रतिवादीगण भी दिनांक 04.11.2015 को विचारण न्यायालय में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं आये इस वजह से विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा साक्ष्य लेकर व एकतरफा बहस सुनकर वादी के पक्ष में दावा निर्णय कर डिक्री पारित कर दी गयी। उक्त निर्णय व डिक्री के जरिये अपीलान्टस/प्रतिवादगण की खातेदारी कब्जे काश्त की 0.44 हैक्टेयर भूमि का रिकार्ड से कम किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी की खातेदारी में दर्ज किये जाने बाबत आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलान्टस को इस बाबत अपना पक्ष प्रस्तुत करने तथा अपनी साक्ष्य/जवाबदेही पेश करने का तथा वादी के गवाहान से जिरह करने का अवसर प्राप्त न होने के कारण विचारण न्यायालय के समक्ष वस्तुस्थिति प्रकट न हो पाने तथा विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा साक्ष्य लेकर व बहस सुनकर ही दावा डिक्री किया गया है। उक्त डिक्री के कायम रहने से अपीलान्टस/प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के कानूनी हक हकूको पर विपरित प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना है इसलिए न्यायहित में प्रकरण में अपीलान्टस को सुनवायी का अवसर दिया जाना तथा अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाना उचित व न्याय संगत है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण/अपीलान्टस का जवाब दावा तथा काउन्टर वाद उपलब्ध था

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री में इन तथ्यों का कोई जिक्र नहीं किया गया ना ही इस बाबत कोई विचार किया गया बल्कि मनमाने तौर पर निष्कर्ष निकालते हुए बिना कोई तनकी कायम किये दावा वादी डिक्री किया गया है जो किसी भी सूरत में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 तीजा पत्नी भूराराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा उसके विधिक वारिसान प्रकरण से पूर्व से ही पक्षकार है इसलिए अपील हाजा में उक्त तीजा देवी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है राजस्व रिकार्ड के मुताबिक नये खसरा नम्बर 1678 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1679 रकबा 3.41 हैक्टेयर कुल रकबा 3.42 है. अवस्थित तन ग्राम घस्सीपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान की खातेदारी वादी धूड़ाराम के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1708 रकबा 1.77 है. व खसरा नम्बर 1718 रकबा 1.17 है. कुल रकबा 2.94 है. अवस्थित तन ग्राम घस्सीपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज. की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व वादी का यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7, 10 बीघा यानी 2.50 है. भूमि पर काबिज काश्त है जबकि प्रतिवादीगण के कुल 2.94 हैक्टेयर भूमि नाम दर्ज है। अतः 0.44 है. भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम अधिक दर्ज है, जिसे वादी प्राप्त करने का हकदार है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का काउन्टर क्लेम खारिज करने में तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आंशिक स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबंध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार पत्रावली में अपीलान्टस दिनांक 26.04.2004 को जरिये वकील उपस्थित हो गये थे। इसके उपरांत पत्रावली दिनांक 31.08.2004 तक जवाब में नियत रही है। इसके उपरांत दिनांक 26.06.2013 तक कायमी तनकीयात में नियत रही है। दिनांक 26.06.2013 को पत्रावली जिला कलेक्टर के आदेश से स्थानान्तरण होकर सहायक कलेक्टर खण्डेला को प्राप्त हुई है। सहायक कलेक्टर खण्डेला को पत्रावली प्राप्त होने के पश्चात अपीलान्टस को नोटिस जारी किये बिना दिनांक 04.11.2015 को अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश कर तनकी कायम किये बिना ही वादी की साक्ष्य प्राप्त की जाकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है।

स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार तामील पूर्ण किये बिना, तनकी कायम किये बिना, अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.11.2025 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय आज दिनांक 21/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

( अनिल कुमार II )
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर